रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 68] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 2, 2000/माघ 13, 1921
No. 68] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 2, 2000/MAGHA 13, 1921

पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 1 फरवरी, 2000

का. आ. 89 (अ).—केन्द्रीय सरकार ने, पैट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पैट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना सं. का. आ. 604 (अ) तारीख 27 जुलाई, 1999 द्वारा उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गुजरात राज्य में काण्डला-जामनगर-लोनी पाइपलाइन परियोजना पर स्थित मैसर्स रिलायंस से टर्निंग बन्दु सं. 22 तक तरल पैट्रोलियम गैस के परिवहन के लिए गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग का अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां तारीख 2 अगस्त, 1999 को जनता को उपलब्ध करा दी गई थीं;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट दे दी है;

और केन्द्रीय सरकार का उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् यह समाधान हो गया है कि पैट्रोलियम के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के लिए उक्त भूमि अपेक्षित है;

अत:, अब, केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट उक्त भूमि में पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग का अधिकार अर्जित किये जाने की घोषणा करती है;

और यह कि केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्देश देती है कि उक्त भूमि में उपयोग के अधिकार केन्द्रीय सरकार में निहित होने की बजाए इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

मैसर्स रिलायंस गेल टर्मिनल से टी.पी. सं. 22 काण्डला-जामनगर-पाइपलाइन स्थित

जिला	तहसील	गांव	सर्वे सं.	उ.का.अ. के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि हेक्टेर में
जामनगर	जामनगर	सापर	19	0.5400
			2[illegible]/पैकी	0.4650
			24/पैकी	0.1720
			23/पैकी	0.1900
			23/पैकी	0.0900
			सरकारी कनाल	
			23/पैकी	0.2500
			कार्ट ट्रैक	0.0450
			28/1 28/1/1 28/2 28/पैकी	0.3050
			29/पैकी	0.1200
			31	0.1600
			32/पैकी	0.3250
			कुल	2.6620

[एल-14014/2/99-जी.पी.]

सुनील कुमार सिंह, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 1st February, 2000

S.O. 89(E).—Whereas, by a notification of the Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S.O. 604(E) dated 27th July, 1999 issued under Sub-section (1) of Section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of User in Land) Act, 1962 (50 of 1962), (hereinafter intention to acquire the right of user in the land, specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for the transport of Liquid Petroleum Gas from M/s. Reliance to Turing Point No. 22 on Kandla—Jamnagar—Loni Pipeline Project in the State of Gujarat State by the Gas Authority of India Limited;

And, whereas, copies of the said Gazette notifications were made available to the public on the 2nd day of August 1999,

And, whereas, the competent authority has under Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, has submitted the report to the Central Government;

And, whereas, the Central Government has, after considering the said report, satisfied that the said land are required for the laying of the pipeline for the transport of petroleum;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 6 of the said Act, the Central Government hereby declares that the right of user in the said land, specified in the Schedule appended to this notification, is hereby acquired for laying the pipeline.

And, further, in exercise of the powers conferred by Sub-section (4) of Section 6 of the said Act, the Central Government directs that the right of user in the said land shall instead of vesting in the Central Government, vests, from the date of the publication of this declaration in the Gas Authority of India Limited, free from all encumbrances.

SCHEDULE

M/s. Reliance GAIL Terminal to TP-No. 22 on Kandla-Jamnagar-Loni P/L

Distt.	Tehsil	Village	Survey No.	Land to be acquired for ROU in hectares
Jamnagar	Jamnagar	Sapar	19	0.5400
			22/Paiki	0.4650
			24/Paiki	0 1720
			23/Paiki	0.1900
			23/P. Govt. Canal	0.0900
			23/Paiki	0.2500
			Cart Track	0.0450
			28/1, 28/1/1, 28/2, 28/Paiki	0 3050
			29/Paiki	0.1200
			31	0.1600
			32/Paiki	0.3250
			Total	2.6620

[L-14014/2/99-G.P.]

S. K. SINGH, Under Secy.

Printed by the Manager, Govt of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Control[illegible] of P[illegible]